

बस में आग लगने की दशा में चालक / परिचालक द्वारा बरती जाने वाली सावधानियाँ

- 1 बस यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक पदार्थ ले जाना प्रतिबंधित है यदि ऐसा पाया जाता है तो ले जाने वाला एवं सहयोगी दोनों ही दण्ड के भागीदार होंगे ।
- 2 शार्ट शर्किट से आग लगने पर सबसे पहले चालक बैट्री के टर्मिनल को डिसकनेक्ट कर दे जिससे आग पर नियन्त्रण पाया जा सके ।
- 3 बस निकलते समय चालक अग्नि बुझाने वाले यन्त्र को भी चेक कर लें कि वह ठीक से काम कर रहा है अथवा नहीं ।
- 4 कूलैन्ट, डीजल लीकेज, खुला हुआ इलेक्ट्रिक वायर आदि की जाँच चालक बस निकालते समय सही ढंग से कर लें ।
- 5 उपरोक्त के अलावा भी ऐसी विषम परिस्थिति आने पर चालक / परिचालक तत्काल बस खड़ी कर सभी यात्रियों को सुरक्षित बस से बाहर निकलवाने में सहयोग करें न कि स्वयं बस से कूद कर भाग जायें ।
- 6 यात्रियों की सही सुरक्षा हेतु शासन द्वारा प्रदत्त सुविधा 108 (एम्बुलेन्स सेवा) एवं 100 (पुलिस) नम्बर डायल कर तुरन्त सहायता प्राप्त करें ।
- 7 घटना की सूचना तत्काल विभागीय अधिकारियों को दें ।
- 8 मानव जीवन प्रकृति की अनमोल धरोहर है इसे संजोए रखना हम सब का दायित्व है फिर भी विषम परिस्थिति में अपना धैर्य एवं साहस बनाये रखें ।

नीरज सकसेना
क्षेत्रीय प्रबन्धक कानपुर

इं. रमेश कुमार
सेवा प्रबन्धक कानपुर

Gas
Cylinder Kerosine / Diesel

Petrol /

Dial 100
Police

Dial 108
Ambulance

